बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06 / रा0का–II-02 / 2013 173 खाद्य,पटना / दिनांक 10/01/2018

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत जिलों में खाद्यान्न के वितरण, आवश्यकता से अधिक उपावंटित खाद्यान्न को वापस करने एवं पूर्व में वितरित राशन एवं किरासन कूपन के संधारण के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 7149 दिनांक 04.09.2015, पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016, पत्रांक 3738 दिनांक 21.06.2016, पत्रांक 7146 दिनांक 16.12.2016 अधिसूचना सं0– 11960 दिनांक 15.09.2017, पत्रांक 3995 दिनांक 05.07. 2016, ज्ञापांक– 5232 दिनांक–– 12.10.2017, ज्ञापांक – 6374 दिनांक 14.12.. 2017, बिहार राशन कूपन योजना –2006 एवं बिहार किरासन तेल कूपन योजना–2006

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त वर्णित प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आधार सीडिंग, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संशोधित प्रावधान के आलोक में नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन / प्रत्यर्पण एवं रद्द करने एवं राशन एवं किरासन कूपन योजना–2006 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में खाद्यान्न एवं किरासन तेल के वितरण हेतु विस्तृत दिशा–निदेश समय–समय पर निर्गत किया गया है।

विदित हो कि विभागीय अधिसूचना सं0– 8515 दिनांक 19.11.2015 एवं 923 दिनांक 08.02.2016 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत निर्गत राशन कार्डों को रद्द करने हेतु पूर्व में निदेशित किया जा चुका है। पुनः भारत सरकार के निदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का भौतिक सत्यापन कराते हुए आधार सीडिंग कराने हेतु विभागीय पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016 एवं विभागीय पत्रांक 3738 दिनांक 21.06.2016 के द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत है ।

आधार सीडिंग के दौरान पहचान किये गये अपात्र परिवारों के राशन कार्ड को भी नियमानुसार अविलंब रद्द करने की कार्रवाई की जाय । अपात्र परिवारों के राशन कार्ड को रद्द करने के पश्चात् उनकों आवंटित खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति को अविलंब रोका जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना सं0 11960 दिनांक 15.09.2017 के आलोक में भी नये राशन कार्ड के निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन / प्रत्यर्पण एवं रद्द करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया है एवं उक्त हेतु एन0आई0सी0 के द्वारा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है । उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया

जाय एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड को रद्द करते हुए उनके खाद्यान्न के आवंटन को रोका जाय । जिलों में गहन समीक्षा करते हुए पात्र लाभुकों/परिवारों की संख्या के अनुसार ही खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जाय एवं आवश्यकता से अधिक उपावंटित खाद्यान्न को विभाग को प्रत्यर्पित करने हेतु प्रतिवेदित किया जाय ताकि अन्य जिलों को उक्त खाद्यान्न को आवश्यकतानुसार उपावंटित किया जा सके ।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 7149 दिनांक 04.09.2015 द्वारा भी जिलान्तर्गत पहचान किये गये सभी पात्र गृहस्थियों को वितरित किये गये वास्ताविक राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करते हुए जिले में अतिरेक खाद्यान्न को प्रत्यर्पित करने का निदेश दिया गया था । दिनांक 13.09.2017 एवं दिनांक– 21.11.2017 को भी आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भी उक्त हेतु निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में पुनः निदेश दिया जाता है कि जिलों में अतिरेक/ अवशेष खाद्यान्न को अविलंब प्रत्यर्पित करते हुए Supply chain management के पोर्टल पर मासिक अवशेष, आवंटन के पूर्व update करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

बिहार राशन कूपन एवं किरासन कूपन योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा वापस किये गये राशन एवं किरासन कूपन एवं जिलों में अवितरित/अवशेष राशन एवं किरासन कूपनों का नियमानुसार संधारण किया जाय एवं अद्यतन मासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

उपर्युक्त निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक –प्र06/रा0का–II-02/2013 173 खाद्य,पटना/दिनांक 10/01/2018

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/अपर जिला दण्डाधिकारी(आपूर्ति) पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।